



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 18—फरवरी 24, 2018, शनिवार/माघ 29—फाल्गुन 5, 1939
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 18—FEBRUARY 24, 2018, SATURDAY/MAGHA 29—PHALGUNA 5, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निदेशक (सूचना प्रणाली) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, निदेशक (सूचना प्रणाली) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (सूचना प्रणाली)	1* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-13	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 12 की ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में,	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

<p>जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कानूनी या स्वशासी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी, जिन्होंने-</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 12 या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो :-</p> <p>अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) में मास्टर की डिग्री ; या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी के बैचलर या कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी के बैचलर या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर; तथा</p> <p>(iii) विजुअल बेसिक या पी एच पी या जावा या ए.एस.पी.डॉट नेट का प्रयोग करते हुए साफ्टवेयर विकास और डेटा बेस जैसे एम वाई एस क्यू एल या एस क्यू एल या ओरेकल या पोस्टग्रेस डेटाबेस में किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय से दस वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : प्रोजेक्ट डिजाइनिंग जिसमें डाटा स्ट्रक्चरों को बनाना, डाटा गति, रिपोर्ट डिजाइनिंग, सम्पूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और सुरक्षित पर्यावरण के अधीन सर्वरों पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन सम्मिलित है, में अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक</p>	<p>अपर सचिव (सूचना प्रणाली खण्ड के कार्यवाहक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य</p>	<p>आवश्यक है।</p>
--	--	-------------------

<p>संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. 39011/02/2005-स्था.(बी)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 8th February, 2018

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Information System) in the Office of the Union Public Service Commission, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Director (Information System), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Information System).	1* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial.	Level-13	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by Deputation (Including Short Term Contract)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion- Joint Director (Information System) in pay level 12 of pay matrix with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract)- Officers under the Central Government or the State Governments or Union territories or Universities/recognised Research Institute/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous organization,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with 5 years' service in posts in pay level 12 of pay matrix or equivalent in the parent cadre/ department rendered after appointment thereto on a regular basis. (b) Possessing the following educational qualifications and experience :</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of :- Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman Secretary, Union Public Service Commission —Member Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment on deputation (ISTC).</p>

<p>Essential: (i) Master's Degree in Computer Applications or Master of Science (Computer Science/ Information Technology) from a recognized University/ Institute; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science/Computer Technology/ Computer Science and Engineering/ Information Technology from a recognized University or Institute; and</p> <p>(iii) ten years' experience in software development using Visual Basic or PHP or JAVA or ASP.NET and in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES Data Base in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body.</p> <p>Desirable: Experience in project designing including framing data structures; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment.</p> <p>Note 1. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. 39011/02/2005-Estt. (B)]

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।